



उत्तननगर महानगरपालिका
UTHNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

प्रबन्धसभा का विषय

Hinali Chawl Road, Uthna 441 604 Dist. Thanai Maharastra

(प्रधानकार्य का आकाराणी विवरण गोलीम)

प्रधानकार्य प्रधानपालिका द्वारा जूलाई 2022 से अक्टूबर 2023 तक विभिन्न विषयों पर विभिन्न उत्तराधिकारी द्वारा दिए गए। (प्रधानकार्य का विवरण देखें) इस दृष्टि द्वारा 1888

Uthna Nagar Municipal Corporation

प्रधानकार्य का आकाराणी विवरण देखें। प्रधानकार्य का विवरण देखें।

अपवास स्वामिकारात देखें कि विवर का एक संघीय वार्ष का एक विवर MAHATMA FULL NAGAR, BEHIND WATER TANK,
NEAR NAGARIK RATHAYAL, UTHNAVADAPUR प्रधानकार्य का आकाराणी विवर देखें। विवरणाम जूलाई 2022 से 01/08/2023 तक 31/08/2023
तक बुद्धिमत्ता के अनुसारी स्वामिकारात विवरण देखें। विवर का विवरण देखें। विवर का विवरण देखें। विवर का विवरण देखें।

प्रधानकार्य का विवर	वापरावाहन	वर्द्धन लेनदेन	कार्यालय वर्तमान	कार्यालय मूल्य
1888	1888	1888	01/08/2023	1888



कार्यालय विवरण

कार्यालय विवरण	कार्यालय वर्तमान	प्रधानकार्य
(1) सर्व साधारण कर	20%	612
(2) सहाय्यप्रधानका विवरण कर	0%	92
(3) सर्व साधारण कर	7%	128
(4) पद्ध कर	8%	146
(5) दृष्टि कर	0.5%	9
(6) प्रधानकार्य कार्यालय कर	8%	92
(7) सर्व साधारण साधारण कर	3%	56
(8) रासायनिक विवरण कर	Residential - 4% Non-Residential - 0%	73
(9) रासायनिक देवरात हमीर कर		0
(10) भोज्या विवाही जारीकरीय कर	10%	183
(11) भारी पड़ी (प्रति महिना)	160 per month	1800
(12) विवरण साधारण कर		0
(13) विवरण सेवा कर	2%	37
(14) उपचारकारी दृष्टि		996
(15) बनाविकृत विवरण कार्यालय		0
		3822

वरील कर आकारणी बाबतची तपशीलवार माहिती कार्यालयीन कामाचे विवरणी मुख्य कार्यालयातील कर वसुनी विभागात मिळेल, तरी या कर आकारणी संबंधी तुम्ही काही तकार असल्यास ती ही नोटीस मिळाल्यापासून २१ विवराचे आत उप-आयुक्त (कर), महानगरपालिका कार्यालय, उल्हासनगर याचेकडे योग्य त्या कारणास्तव व पुराव्यासह लेखी स्वरूपात दावल करावी, मुदतीत हरकत न घेतल्यास वर्गील प्रमाणे विधित किंवा करद्योग्य मुख्य व कर आकारणी काथाम करण्यात येणील याची नोंद घ्यावी,

तसेच जारीच्या मालकी तळाबाबत वाच उपस्थित आपल्यास त्याचे निश्चिकरण आपणांस करावे लागेल.

Pushpa Chowdhury

8554813296

उप-आयुक्त (कर)

उल्हासनगर महानगरपालिका

मिळेल विवरणात कर आकारणी केल्यास अवधा कर भरल्याने बांधकाम अधिकृत होत नाही, कर आकारणी अवधा कर भरल्याने कोटीतील कामास व विकालावर कायवाही करण्यास बाधा येणार ताही याची नोंद घ्यावी.)